

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



F. No: PFRDA/17/02/04/0001/2018-SUP-ASP

25th October 2024

To

सभी वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) के अनुपालन अधिकारी The Compliance Officer of all Annuity Service Providers (ASPs)

निर्देश

- कृपया पीएफआरडीए परिपत्र पीएफ आरंडीए/2024/18/एसयूपी-एएसपी/01 सन्दर्भ लें।
- एनपीएस स्थापत्य से एनपीएस अभिदाता की निकासी पर अभिदाताओं/वार्षिकीधारकों को उनके द्वारा चुनी गई वार्षिकी योजना के अनुसार एएसपी द्वारा पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार नियमित आवधिक वार्षिकी प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गयी है।
- वार्षिकी जारी करने की प्रक्रिया को कारगर 3. बनाने के लिए, एएसपी को सलाह दी जाती है कि वे इस परिचालन निर्देश के साथ संलग्न अनुलग्नक "ए" में उल्लिखित समयसीमा और दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें।

विषय: वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के लिए परिचालन Subject: Operational Instructions for Annuity Service Providers

- This has reference to PFRDA PFRDA/2024/18/SUP-ASP/01 Circular Dated 24, 10, 2024.
- Upon the exit of the NPS subscriber from the NPS architecture, ASPs are responsible to provide a regular periodic annulty to the subscribers/annuitants as per the annuity scheme opted by them in accordance with the PFRDA (Exits and Withdrawals under the NPS) Regulations, 2015.
- To streamline the annuity issuance process, ASPs are advised to strictly adhere to the timelines and guidelines outlined in annexure "A' enclosed with this operational instructions.

भवदीय / Yours sincerely

अखिलेश कुमार / Akhilesh Kumar, (मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager)

प्रति/Copy to:

1. श्री शैलेन्द्र कोठावले, मुख्य अनुपालन एवं जोखिम अधिकारी आदित्य बिङ्ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वन वर्ल्ड सेंटर, टावर-1, 16वीं मंजिल, ज्यूपिटर मिल केपाउंड, 841, सेनापति बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड, मंबई - 400013

1. Shri Shailendra Kothavale Chief Compliance and Risk Officer Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd. One World Center, Tower-1, 16th Floor, Jupiter Mill Compound, 841, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai **- 400013**.

ई-500, टॉवर-ई, पांचवां तल, बर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 दूरमानः 91—11—40717900, वेबसाइटः www.pfrda.org.in E-500, Tower-E, Fifth Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029 Page 1 of 12 Phone: 91-11-40717900, Website: www.pfrda.org.in



- श्री अनिमेष कुमार एवीपी-नियामक अनुपालन बजाज आतियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज आतियांज हाउस, एयरपोर्ट रोड, यरवदा, पुणे 411 006, महाराष्ट्र।
- श्री शिवनाथ सरकार,
 अनुपालन अधिकारी
 केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
 139पी, सेक्टर ४४, गुरुग्राम (हरियाणा) 122003
- 4. श्री अंकुर चड्ढा,
 मुख्य अनुपालन अधिकारी
 एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
 6वीं मंजिल, टावर 3, विंग 'बी'कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ली (पश्चिम) मुंबई 400070
- श्री पृथ्वीराज सेनगुप्ता,
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष
 एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
 13वीं मंजिल, लोढ़ा एक्सेलस, अपोलो मिल्स कंपाउंड एन. एम जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई ~400011
- 6. श्री धर्मेन्द्र गुप्ता, प्रमुख एनपीएस वार्षिकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिट 2ए, दूसरी मंजिल, सेनर्जी आईटी पार्क, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
- 7. श्री मनीष मिश्रा, इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 12/13वीं मंजिल, उत्तरी [सी] विंग, टॉवर 4, नेस्को आईटी पार्क, नेस्को सेंटर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई 400 063
- 8. श्री दीपक गुप्ता उपाध्यक्ष, सेवानिवृत्ति एसबीयू कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेंड, यूनिट नंबर 901 (ए-विंग) और 902 (बी-विंग), 9वीं मंजिल, इंटेलियन स्कायर (बिल्डिंग नंबर 4), इन्फिनिटी आईटी पार्क, ऑफ। हम। हाईवे, जनरल ए.के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुंबई-400097

- Shri Animesh Kumar AVP-Regulatory Compliance Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd, Bajaj Allianz House, Airport Road, Yerawada, Pune 411 006, Maharashtra.
- Shri Shivnath Sarkar
 Compliance Officer
 Canara HSBC Life Insurance Company
 Limited,139P, Sector 44, Gurugram
 (Haryana)- 122003
- Shri Ankur Chadha
 Chief Compliance Officer
 Edelweiss Toklo Life Insurance
 Company Limited,
 6th Floor, Tower 3, Wing 'B' Kohinoor
 City, Kirol Road, Kurla (W) Mumbai
 400070
- Shri Prithwiraj Sengupta Senior Vice President HDFC Life Insurance Company Limited, 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound N. M Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai -400011
- Shri Dharmendra Gupta
 Head NPS Annuity
 ICICI Prudential Life Insurance Company
 Limited,
 Unit 2A, 2nd Floor, Cnergy IT Park,
 Appashaeb Marathe Marg, Prabhadevi,
 Mumbai 400025
- Shri Maneesh Mishra, IndiaFirst Life Insurance Company, 12/13th Floor, North [C] wing, Tower 4, Nesco IT Park, Nesco Center, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbal – 400 063
- 3. Shri Deepak Gupta
 Vice President, Retirement SBU
 Kotak Mahindra Life Insurance Company
 Limited,
 Unit No. 901 (A-Wing) & 902 (B-Wing),
 9th Floor, Intellion Square (Building No.
 4), Infinity IT Park, Off. W.E. Highway,
 General A.K. Vaidya Marg, Malad (East),
 Mumbai-400097

S

Page 2 of 12

- 9 श्री महेश चन्द्र भारती, उप कुल सचिव, भारतीय जीवन बीमा निगम, केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेमा बिल्डिंग, 7वीं मंजिल, वेस्ट विंग, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021
- सुश्री संहिता कत्याल, मुख्य अनुपालन अधिकारी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 11वीं मंजिल, डीएलएफ स्कायर बिल्डिंग, जैकरांडा मार्ग, डीएलएफ सिटी फेज ॥, गुरुग्राम 122002
- 11. श्री कृष्णेन्दु भुनिया, मुख्य प्रबंधक पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, टेक्नीप्लेक्स -1, टेक्नीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स वीर सावरकर फ्लाईओवर के बाहर, गोरेगांव (पश्चिम), मंबई - 400062
- 12. श्री प्रणय रानीवाला. अनुपालन अधिकारी एसबीआई लाइफ इंश्पोरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्पोरेंस 8वीं मंजिल, रूस्तमजी द्वारा नटराज एम.वी. रोड, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069
- 13. श्री बिरेश्वर चटर्जी श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 31 और 32 रैमकी सेलेनियम, आंध्रा बैंक ट्रेनिंग सेंटर के अलावा, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गाचीबोवली, हैदराबाद, तेलंगाना -500032
- 14. श्री शेखर मोरे विरष्ठ प्रबंधक स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 11वीं मंजिल, विश्वरूप आईटी पार्क, प्लॉट नंबर 34, 35 और 38, आईआईपी का सेक्टर 30ए, वाशी, नवी मुंबई-400 703
- 15. श्री रजत बजाज मुख्य अनुपालन एवं जोखिम 15. Shri Rajat Bajaj अधिकारी Chief Compliand Tata AIA Life In: मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क लोअर Uरेल, मुंबई 400013
- सुश्री कमलम वेंकटेशन, उपाध्यक्ष, प्रोटीन ई-गवर्नेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रथम तल, टाइम्स

- Shri Mahesh Chandra Bharati
 Deputy Secretary,
 Life Insurance Corporation of India
 Central office, Yogakshema Building,7th
 floor, West Wing, Jeevan Bima Marg,
 Mumbai 400 021
- 10. Ms. Sanhita Katyal, Chief Compliance Officer Max Life Insurance Company Limited,11th Floor, DLF Square Building, Jacaranda Marg, DLF City Phase II, Gurugram 122002
- Shri Krishnendu Bhunia Chief Manager PNB MetLife India Insurance Company Limited., 1st Floor, Techniplex -1, Techniplex Complex Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062
- 12. Shri Pranay Raniwata Compliance Officer SBI Life Insurance Company Limited, SBI Life Insurance 8th Floor, Natraj by Roustamjee M.V. Road, & Western Express Highway Junction, Andheri (East), Mumbai – 400069
- Shri Bireswar Chatterjee
 Shriram Life Insurance Company
 Limited, Plot No 31 & 32 Ramky
 Selenium, Besides Andhra Bank Training
 Centre, Financial District, Gachibowli,
 Hyderabad, Telangana -500032
- 14. Shri Shekhar More, Senior Manager Star Union Dai-ichi Life Insurance Company, 11th Floor, Vishwaroop IT Park, Plot No. 34, 35 & 38, Sector 30A of IIP, Vashi, Navi Mumbai-400 703
- 15. Shri Rajat Bajaj Chief Compliance & Risk Officer Tata AIA Life Insurance Company Limited, 14th Floor, Tower A, Peninsula Business Park Lower Parel, Mumbai – 400013
- Ms. Kamaiam Venkatesan, Vice President, Protean e-Governance

1

Page 3 of 12

टॉवर, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013

- 17. सुश्री मंजू आनंद, मुख्य अनुपालन अधिकारी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, द सेंट्रियम, तीसरी मंजिल, 67, लाल बहादुर शास्त्री रोड, फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल, नव पाड़ा, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070
- 18. श्री अश्विनी कक्कड़, अनुपालन अधिकारी, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, 401-404, कंचनजंगा बिल्डिंग, बाराखमाबा रोड, नई दिल्ली -- 110001
- 19. श्री आलोक श्रीवास्तव, विरष्ठ उपाध्यक्ष, सेंट्रलाइच्ड कलेक्शन एंड पेमेंट इब, होत्तसेल बैंकिंग ऑपरेशंस. एक्सिस बैंक लिमिटेड, 5वीं मंजिल, गीगाप्लेक्स बिल्डिंग नंबर 1, प्लॉट नंबर 1.T.5, एमआईडीसी ऐरोली नॉलेज पार्क, ऐरोली, नवी मुंबई - 400 708
- श्रीमती. सुपर्णा टंडन,
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 एनपीएस ट्रस्ट,
 बी-302, टावर बी, तीसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
 नौरोजी नगर, नई दिल्ली 110029
- श्री आशीष कुमार,
 मुख्य महाप्रबंधक,
 विनियमन- एएसपी विभाग, पीएफआरडीए,
 नई दिल्ली 110029

Technologies Limited, Ist Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.

- 17. Ms. Manju Anand, Chief Compliance Officer, KFin Technologies Limited, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Phoenix Market city Mall, Nav Pada, Kurla (West), Mumbal-400070.
- 18. Shri Ashwini Kakkar, Compliance Officer, Computer Age Management Services Ltd., 401-404, Kanchanjunga Building, Barakhmaba Road, New Delhi — 110001
- 19. Mr. Alok Srivastava, Senior Vice President, Centralised Collection and Payment HUB, Wholesale Banking Operations, Axis Bank Limited, 5th Floor, Gigaplex Building no.1, Plot no I.T.5, MIDC Airoli Knowledge park, Airoli, Navi Mumbai – 400 708
- Smt. Suparna Tandon,
 Chief Executive Officer,
 NPS Trust, B-302, Tower B, 3rd Fioor,
 World Trade Centre, Nauroji Nagar,
 New Delhi 110029.
- 21. Shri Ashish Kumar, Chief General Manager, Regulation- ASP Dept., PFRDA, New Delhi - 110029.

A

वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के लिए परिचालन निर्देश

	वार्यका स्वा प्रदाताचा क ।लाइ पारचालन ।नदश	
मुख्य बिंदु	विवरण/परिचालन गतिविधियां	समयसीमा (टीएटी) / टिप्पणियां
1. वार्षिकी जारी करना	 एनपीएस अभिदाता द्वारा निकासी पर एएसपी के चयन के बाद और सीआरए द्वारा डेटा साझा करने के बाद, संबंधित एएसपी उस अभिदाता के साथ समन्वय करेगा, ताकि वार्षिकी जारी करने के लिए आवश्यक अन्य विवरण प्राप्त किया जा सके। 	तुरंत
	 एएसपी सीआरए से सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में प्राप्त दस्तावेज के अलावा, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेज भी पूरा करेगा। 	अभिदाताओं के डेटा की
	प्रदत्त समयसीमा अभिदाता तक पहुंचने और उनके दस्तावेज़ों के पूरा होने के अधीन है। यदि समयसीमा का अनुपालन नहीं किया जा सके तो, एएसपी द्वारा अभिदाता के अनुसार अभिलेखों को बनाए रखना जरूरी है।	
	 पूरी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने और प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, एएसपी संबंधित सीआरए से एन्युटी कॉर्पस को उनके पास स्थानांतरित करने का अनुरोध करेगा। 	की प्राप्ति और प्रस्ताव की
	 त. सीआरए से राशि प्राप्त होने पर, एएसपी एनपीएस निकास आवेदन के संदर्भ में अभिदाता/वार्षिकीथारक को वार्षिकी पॉलिसी जारी करेगा। 	टी+2 दिन (टी ट्रस्टी बेंक से राशि प्राप्ति की तारीख है)।
	e. वार्षिकीधारक को जारी की जाने वाली वार्षिकी पॉलिसी की प्रभावी तिथि	बीमा अधिनियम की धारा 64वीबी के अनुरूप टी दिवस (टी एएसपी द्वारा राशि की प्राप्ति का दिन है)।
	 वार्षिकी उत्पाद के लिए भारतीय बीमा विनियाम (आईआरडीएआई) द्वारा अनुमोदित प्रीमियम के अ अतिरिक्त शुक्क या प्रभार नहीं लिया जाएगा । 	क और विकास प्राधिकरण लावा अभिदाता(ओं) से कोई
	g. एनपीएस के तहत वार्षिकियां प्रत्यक्ष चैनल के माध्य	म से जारी की जाएंगी।
2. फ्री सुक अप रद्दीकरण	a. फ्री लुक केंसिलेशन (एफएलसी) के मामले में, एएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि एफएलसी कैंसिलेशन के लिए अभिदाता से प्राप्त आवेदन में उस नए एएसपी/स्कीम का ब्योरा हो, जिसके साथ अभिदाता वार्षिकी का लाभ उठाना चाहता है। इस प्रकार प्राप्त आवेदन को आगे के समन्वय और नई वार्षिकी अनुबंध जारी करने के लिए सीआरए और नए एएसपी के साथ साझा किया जाएगा।	
	 फ्री लुक कैंसिलेशन (एफएलसी) के मामले में, एए अनुसार अन्य एएसपी को आगे विप्रेषण के लिए 	सपी अभिदाता की पसंद के ट्रस्टी बैंक को रिफंड राशि



	भेजेगा। यदि पॉलिसी को फ्री लुक् अवधि कैंसिलेशन क्लॉज़ के तहत उसी एएसपी	
	द्वारा फिर से जारी किया जाना है, तो आवश्यक जानकारी संबंधित सीआरए को	
	भेजी जानी चाहिए। c. सी आरए और टीबी के बीच फ्री लुक कैंसिलेशन की सूचना प्रवाह की एंड-टू-एंड	
	प्रक्रिया उचित ऑडिट ट्रेस्स के साथ सिस्टम-संचा	। सूचना प्रवाह का एड-टू-एड लिल नगैके से अगोजिन की
	जानी चाहिए।	दित तराक स जावमुखत का
	, ,	
3. वार्षिकी का अभ्यर्पण	एएसपी द्वारा एनपीएस के तहत जारी वार्षिकी को फ्री लुक अवधि के बाद किसी कानूनी आवश्यकता या प्राधिकरण द्वारा निधीरित किसी विशिष्ट कारण के अलावा और वर्तमान में केवल निम्नलिखित अपवादात्मक मामलों में सरेंडर (अभ्यर्पित) करने की अनुमति दी जाएगी:	तत्काल अनुपालन हेतु
	a. सरकारी निर्देशों या न्यायालय के आदेशों के कारण गैर-एनपीएस/पुरानी पेंशन मामले और जिनके लिए अभिदाता/सरकारी नोडल कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। b. ऐसे मामले जिनमें अभिदाता/परिवार सरकारी क्षेत्र के अभिदाता की मृत्यु या अक्षमता के कारण संबंधित सरकार से पारिवारिक/अक्षमता पेंशन का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है। सरकार द्वारा ऐसे दावे को स्वीकार किए जाने पर अभिदाता/सरकारी नोडल कार्यालय द्वारा सरकार की ऐसी स्वीकृति और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके वार्षिकी के सरेंडर (अभ्यर्पण) के लिए अनुरोध किया जा सकता है।	
	एएसपी समुचित सावधानी और जांच-पड़ताल करने के बाद ऐसे अभ्यर्पण अनुरोधों को प्रबंधित/संसाधित करेंगे।	
	ऐसे मामलों में, एएसपी को संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय को धनराशि विप्रेषण के लिए ट्रस्टी बैंक को धनराशि विप्रेषण के लिए ट्रस्टी बैंक को धनराशि विप्रेषित करनी होगी। एएसपी द्वारा वार्षिकी अध्यर्पण के ऐसे सभी मामलों में, प्रत्येक अध्यर्पण से संबंधित दस्तावेज और प्रासंगिक जानकारी सीआरए और एनपीएस ट्रस्ट को प्रस्तुत करनी होगी/ सीआरए पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।	
ļ	एनपीएस ट्रस्ट, सीआरए को सलाह दे सकता है कि वह ट्रस्टी बैंक को ऐसे अभ्यर्पण की धनराशि संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय को भेजने का निर्देश दे।	·
4. ऊपर बताए अनुसार फ्री लुक अप रद्दीकरण/अभ्यर्पण	a. रद्दीकरण मूल्य को ट्रस्टी बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए: फ्री लुक अप रद्दीकरण मूल्य को केवल ट्रस्टी बैंक के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि कोई शुक्क	तत्काल अनुपालन हेतु

S.


लिया जाना है जो जन आहेश्यानीयश्रक	T
विभाविनेत्रों के अवसार होता।	
b. रहीकरणाअभ्यर्पण की राशि को अभिदाताओं के बैंक खाते में जमा न करना : एनपीएस अभिदाताओं/लाभार्थियों/नोडल कार्यालयों से प्राप्त रहीकरणा/अभ्यर्पण अनुरोध के प्रसंस्करण के समय एएसपी निरस्ता/अभ्यर्पित की गई वार्षिकी की राशि को अभिदाताओं के बैंक खातों में जमा नहीं करेंगे।	
c. वार्षिकीधारकों को प्रकटीकरण: वार्षिकीधारक को वार्षिकी की खरीद के समय वार्षिकी पॉलिसी दस्तावेज में और वार्षिकी के अभ्यर्पण/रद्दीकरण के किसी भी अनुरोध को प्रभावी करने से पहले लिखित रूप में सूचित/प्रकट किया जाएगा कि: 1. रद्दीकरण/अभ्यर्पण की आय केवल एनपीएस ट्रस्ट/ट्रस्टी बैंक के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, न कि अभिदाता के बैंक खाते में। ii. फ्री लुक अप रद्दीकरण पर, राशि का उपयोग केवल उसी एएसपी से या अभिदाता की पसंद के किसी अन्य एएसपी से दूसरी वार्षिकी जारी करने के उद्देश्य से किया जाएगा। iii. अभ्यर्पण/रद्दीकरण और किसी भी शुल्क/फीस आदि के विभाजन पर हस्तांतरणीय अंतिम राशि उचित ऑडिट ट्रेल के साथ वार्षिकीधारक को पहले से स्पष्ट रूप से सूचित की जाएगी।	तत्काल अनुपालन हेतु
एएसपी का अनुपालन अधिकारी, पीएफआरडीए निकास विनियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।	अनुपालन हेतु
एएसपी और अनुपालन अधिकारी, एनपीएस से निकासी पर, एएसपी से वार्षिकियां क्रय करने वाले अभिदाताओं या वार्षिकीधारकों द्वारा उन्हें प्रदत्त शिकापतों के रामाधान के तिए भी कदम उठाएंगे।	लागू आईआरडीएआई विनियमों/दिशानिर्देशों या पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायतों का निवारण) विनियम 2015 के अनुसार शिकायतों के निवारण के तिए निर्दिष्ट समय-सीमा, जो भी पहले हो, के भीतर।
	के बैंक खाते में जमा न करना : एनपीएस अभिदाताओं/लाभार्थियों/नोडल कार्यालयों से प्राप्त रहीकरण/अभ्यर्पण अनुरोध के प्रसंस्करण के समय एएसपी निरस्त/अभ्यर्पित की गई वार्षिकी की राशि को अभिदाताओं के बैंक खातों में जमा नहीं करेंगे। c. वार्षिकीधारकों को प्रकटीकरण : वार्षिकीधारक को वार्षिकी की खरीद के समय वार्षिकी पॉलिसी दस्तावेज में और वार्षिकी के अभ्यर्पण/रहीकरण के किसी भी अनुरोध को प्रभावी करने से पहले लिखित रूप में सूचित/प्रकट किया जाएगा कि : रहीकरण/अभ्यर्पण की आय केवल एनपीएस ट्रस्ट/ट्रस्टी बैंक के खाते में स्थानांतिरत की जाएगी, न कि अभिदाता के बैंक खाते में ! ii. फ्री लुक अप रहीकरण पर, राशि का उपयोग केवल उसी एएसपी से या अभिदाता की पसंद के किसी अन्य एएसपी से दूसरी वार्षिकी जारी करने के उद्देश्य से किया जाएगा। iii. अभ्यर्पण/रहीकरण और किसी भी शुल्क/फीस आदि के विभाजन पर हस्तांतरणीय अंतिम राशि उचित ऑडिट ट्रेल के साथ वार्षिकीधारक को पहले से स्पष्ट रूप से सूचित की जाएगी। एएसपी का अनुपालन अधिकारी, पीएफआरडीए निकास विनियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। एएसपी और अनुपालन अधिकारी, एनपीएस से निकासी पर, एएसपी से वार्षिकीधारकों द्वारा उन्हें प्रदत्त अभिदाताओं या वार्षिकीधारकों द्वारा उन्हें प्रदत्त अभिदाताओं या वार्षिकीधारकों द्वारा उन्हें प्रदत्त

6. सीआरए के साथ सूचना साझा करना (रिवर्स सूचना प्रवाह)	जारी करने के सभी विवरण सीआरए को प्रस्तुत करने होंगे। वार्षिकी के रहीकरण/अभ्यर्पण के समय: वार्षिकी के रहीकरण/अभ्यर्पण घर, वार्षिकी सेवा प्रदाता रह /अभ्यर्पित वार्षिकी के सभी विवरण सीआरए को उपलब्ध कराएगा। दस्तावेजों को अपलोड करना: जैसा कि ऊपर धारा 3 के तहत उल्लेख किया गया है, प्रत्येक अभ्यर्पण से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज सीआरए को प्रस्तुत/अपलोड किए जाएंगे।	की तिथि से 7 कार्य दिवसीं के भीतर
7. एपीआई एकीकरण, रिवर्स सूचना और वार्षिकी कैलकुलेटर अभिचित्रण	दिनोंक 07.01.2020 के पत्र माध्यम से सीआरए प्रणाली में एनपीएस अभिदाताओं के लिए जारी की गई पॉलिसियों से संबंधित दस्तावेजों और सूचनाओं को अपलोड़ करने सहित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन एएसपी द्वारा किया जाना आवश्यक है।	अनुपालन हेतु
8. एमआईएस और अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना	जारी की गई वार्षिकी और वार्षिकी रद्दीकरण/अभ्यर्पण पर मासिक एमआईएस पीएफआरडीए को प्रस्तुत किया जाएगा। अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/सत्यापित अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र पीएफआरडीए को प्रस्तुत किया जाएगा।	भीतर आगामी अवधि के 30 दिनों

भवदीय ,

अखिलेश कुमार (मुख्य महाप्रबंधक) Operational Instructions for Annuity Service Providers

Operational Instructions for Annuity Service Providers		
Key Points	Particulars/Operational Activities	Timelines (TAT) / Remarks
Issuance of Annuities	a. After the selection of ASP by the NPS subscriber upon exit and upon sharing of the data by CRA, the concerned ASP shall co-ordinate with the respective subscriber to get any further details which are required for issuance of annuity.	Immediate
	 b. ASP shall complete the additional documentation, if required, in addition to documentation received from CRA in soft copy form. 	T+5 days (T is the date of receipt of subscribers' data from CRA.
	The given TAT is subject to reaching out to subscribers and completion of their documentation. ASPs need to maintain subscriber- wise records in case TAT could not be adhered.	
	c. On receipt of complete information/documents and acceptance of the proposal, the ASP shall raise a request to the respective CRA to transfer the annuity corpus to them.	T day (T is the date of receipt of complete documents and acceptance of the proposal)
	d. Upon receipt of funds from the CRA, ASP shall issue annuity policy to the subscriber/annuitant in terms of the NPS exit application.	T+2 days (T is the date of receipt of funds from Trustee Bank).
	e. Effective date of Annuity Policy to be issued to the annuitant	T day (T being the day of receipt of funds by the ASP) in consonance with Sec 64VB of Insurance Act.
	f. There shall be no additional fees or charg other than the premium approved by the In- Development Authority of India (IRDAI) for the	surance Regulatory and he annuity product
	g. The annuities under NPS are to be issued the	
2. Free look up cancellation	a. In case of free look cancellations (FLC), As application received from subscriber for FL the details of the new ASP/scheme with who to avail the annuity. The application so recei CRA and the new ASP for further coordinati annuity contract.	C cancellation contains in the subscriber intends wed shall be shared with
	b. In case of free look cancellations (FLC), amount to Trustee Bank for further remittan the choice of subscriber. In case the policy same ASP under free look period cance information needs to be sent to the respective	ice to other ASP as per is to be re-issued by the liation clause, required



pointed above	b. Non-crediting of cancellation/surrender proceeds to subscribers' bank account: At the time of processing of the cancellation/surrender request received from the NPS subscribers/beneficiaries/Nodal Offices, ASPs shall not remit the amount of the cancelled/surrendered annuities to the subscribers' bank accounts.	compliance.
	 c. Disclosure to Annuitants: The Annuitant shall be communicated /disclosed in writing at the time of purchase of annuity in the annuity policy document and also prior to effecting any request for surrender/cancellation of annuity that: i. Cancellation/surrender proceeds will be 	For immediate compliance.
	transferred to the NPS Trust/Trustee Bank account only and not to the subscriber's bank account. ii. On freelook-up cancellation, the amount will be utilised only for the purpose of issuance of another annuity either from same ASP or from another ASP of the choice of the subscriber. iii. The final amount transferrable on surrender/cancellation and bifurcation or any charges / fees etc shall be clearly informed beforehand to the annuitant with appropriate audit trail.	
5. Compilance by ASP	The Compliance Officer of ASP shall be responsible for monitoring compliance with the duties and obligations as laid down under the PFRDA Exit Regulations and instructions issued by the Authority.	For compliance.
	ASP and the Compliance Officer shall also take steps to address the grievances reported to them by subscribers or annultants who have purchased annuities from the ASP, upon exit from the NPS.	Within the timelines as specified for redressal of grievances as per applicable IRDAI Regulations/guidelines or PFRDA (Redressal of Subscriber grievances) 2015, whichever is earlier.

A.

	The end-to-end process of information flow between CRA and TB should be conduct manner with appropriate audit trails.	of free look cancellation led in a system-driven
3. Surrender of Annuities	ASPs shall not allow surrender of annulties issued under NPS after the free look period except due to any legal requirements or any specific cause as stipulated by the Authority and only in the following exceptional cases currently:	For immediate compliance
	a. Non-NPS/Old Pension cases due to Government directives or Court orders and for which necessary documents have been provided by the subscriber/government nodal office. b. Cases in which subscriber/family opts to avail family/invalidation pension from the respective government due to death or invalidation of a Government Sector subscriber. Upon acceptance of such claim by government a request can be made by the subscriber/government nodal office for surrender of annuity by providing such acceptance of the government and other necessary documents.	
	ASPs shall handle/process such surrender requests after carrying out appropriate due-diligence.	
	In such cases, ASP needs to remit the amount to Trustee Bank for further remittance to the concerned Government Nodal Office. In all such cases of surrender of annuities by the ASP, the documents and relevant information pertaining to each of the surrender needs to be submitted to CRA and NPS Trust /uploaded on CRA portal.	
	NPS Trust may advise CRA to instruct Trustee Bank to remit the fund of such surrender to the concerned government nodal office.	
4. Processing of free look up cancellation /surrender case as	a. Cancellation value to be transferred to Trustee bank account: The free lookup cancellation value must be transferred to Trustee bank account only. The charges, if any deducted shall be in compliance with IRDAI guidelines.	For immediate compliance.



6. Information sharing to CRA (Reverse Information Flow)	At the time of issuance of Annuity: ASP are required to submit all the details of annuity issuance to the CRA. At the time of Cancellation/Surrender of Annuity: On cancellation/ surrender of annuity, the Annuity Service Provider shall provide all details of the cancelled/surrendered annuity to CRA. Upload of documents: As mentioned under section 3 above, the relevant documents pertaining to each of the surrender shall be submitted/uploaded to CRA.	Within 7 working days from the date of issuance/cancellation the annuity.
7. API Integration, Reverse Information and annuity calculator illustration	ASPs are required to comply with various guidelines including upload of documents and information related to the policies issued for NPS subscribers in the CRA system vide letter dated 07.01.2020.	For compliance.
8. Submission of MIS and Compliance Certificate	Monthly MIS on Annuity issued and Annuity cancellations/surrenders shall be submitted to PFRDA Half Yearly Compliance Certificate duly signed/attested by compliance officer shall be submitted to PFRDA	Within 10 days of the subsequent month Within 30 days of the subsequent period

Yours sincerely/

Akhilesh Kumar (Chief General Manager)